

होता है। दूसरा, सूखे एवं बाढ़ के कारण भी लोगों को निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि जिले की आर्थिक-सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ किए जाने हेतु यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि असिंचित क्षेत्र को सिंचित किए जाने हेतु कार्य-योजना शीघ्र बनाई जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों को अपनी कृषि आय में वृद्धि करने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके।

श्री सभापति: अखिलेश जी, यह स्थानीय स्कीम है या नेशनल लेवल की स्कीम है? मैंने राजमणि पटेल जी के विषय को देखा तथा आपके विषय को भी देखा, इसलिए मैं दुविधा में था। अगर यह स्कीम स्टेट लेवल पर है, तो फिर यहाँ से कुछ नहीं होगा।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: सर, स्टेट लेवल पर यह नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ उठाया है, क्योंकि वह बाढ़ से प्रभावित जिला है।

MR. CHAIRMAN: Shri T.G. Venkatesh; not present. श्री शिव प्रताप शुक्ल जी।

श्रीमती कहकशां परवीन: चेयरमैन सर, मैं कहना चाहती हूँ कि उनका कल भी ज़ीरो ऑवर था और आज भी उनको ज़ीरो ऑवर में मौका दिया गया।

+ محترمہ کہکشان پروین : جو فرمائی سر، میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان کا کل بھی زیور آور تھا اور آج بھی ان کو زیور آور میں موقع دی گلے

श्री सभापति: ठीक है, मैं इसको संज्ञान में लूँगा। कभी-कभी आपको भी ऐसा मौका मिल सकता है। फिर भी, मैं इसको देखूँगा, क्योंकि यह भी एक विषय है।

Need to bring lawful and practical regime in favour of farmers in the country

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपकी अनुमति से किसानों के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ। वास्तव में, भारत एक कृषि-प्रधान देश है। मैं उत्तर प्रदेश का विषय उठाना चाहता हूँ, जहाँ प्रत्येक वर्ष राजस्व गाँव की एक सूची जारी होती है, जिसमें किसानों के लिए कहा जाता है कि रेवेन्यू विलेज के ये-ये किसान हैं। उस आधार पर उनकी जोत-बही तथा उनकी लैंड की जानकारी प्राप्त हो जाती है और फिर उनको सरकारी सहायता का पूरा लाभ मिल पाता है, चाहे वह बीज से संबंधित सहायता हो अथवा सरकार द्वारा दी जा रही किसी और प्रकार की सहायता हो।

इधर, माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए अत्यंत प्रयत्न किया है। इसके लिए हम लोग कृषि मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहेंगे और माननीय प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। अगर किसानों के खाते नहीं खुले होते, तो मुझे लगता है कि 6,000 रुपये की जो "किसान सम्मान निधि" है, वह शायद उन किसानों के खाते में नहीं जा पाती। उत्तर प्रदेश में एक संशोधन यह हो रहा है कि उन किसानों के पुनः पंजीयन की बात सामने आ रही है। अगर उन किसानों के पुनः पंजीयन की बात होगी, तो फिर यह परेशानी पैदा होगी

[†]Transliteration in Urdu script.

[श्री शिव प्रताप शुक्ल]

कि जो भू-राजस्व है, जिसका विवरण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता है, उसमें कहीं न कहीं संशोधन करने की स्थिति आ जाएगी।

माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। हम इनसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर प्रत्येक वर्ष राजस्व गाँव की सूची प्रकाशित हो जाए, जो बेनामे होते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाए तथा जिन किसानों की मृत्यु हो जाती है और उस आधार पर उनके नाम उसमें चढ़ नहीं पाते, तो यह सारा सिस्टम उस पंजीयन में गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए एक पत्र भी लिखा गया है, लेकिन मैं माननीय कृषि मंत्री जी तथा भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस बात का निर्देश दिया जाए कि प्रत्येक वर्ष किसानों की वह सूची प्रकाशित करके भू-राजस्व के आधार पर यह तय किया जाए कि भारत सरकार की ओर से वहाँ के किसानों को जो भी सहायता दी जाती है, वाहे वह "किसान सम्मान निधि" के 6,000 रुपये हों, बीज की सहायता हो या अन्य किसी प्रकार की सहायता हो, वह उनको मिले।

इस नाते मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि वे उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध में वार्ता करके किसानों को इसका लाभ दिलाएँ।

MR. CHAIRMAN: Special Mentions. Shri Vishambhar Prasad Nishad.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: माननीय उपसभापति महोदय, ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: क्या? उपसभापति महोदय?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: सर, सौरी। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है। ... (व्यवधान)...

श्री जावेद अली खान: सर, आदत पड़ गई है। ... (व्यवधान)...

جواب جاویہ علی خان : سر، عادت پڑ گئی ہے۔ (مداخت)۔

SPECIAL MENTIONS

Need to stop illegal mining from rivers beds

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए देश की नदियों में धड़ल्ले से, बिना किसी अनुमति बड़े पैमाने पर बालू, मोरम और पत्थर का अवैध खनन माफियाओं द्वारा जेसीबी तथा पोकलैंड मशीनों से किया जा रहा है। खनन की वजह से नदियों में 10 से 20 मीटर तक गड़दे हो गए हैं, जिससे नदी की प्रकृति बदलती जा रही है। इससे कई जगहों पर नदियों के किनारे की कृषि भूमि कटकर नदी में समाहित हो रही है और नदियों में पल रहे जीव-जन्तु विलुप्त हो रहे हैं। विशेष तौर पर, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, उत्तराखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की नदियों में एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर अवैध खनन हो रहा है। इसके बारे में समय-समय पर स्थानीय अखबारों में खबरें भी छपती रहती हैं।

†Transliteration in Urdu script.